DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
TUESDAY, FEBRUARY 21, 2023

New Tis Hazari courts to get hi-tech facilities

Photos: Tarun Rawat

The six-storey extension of Tis Hazari building is nearing completion

Vineet Upadhyay & Siddhanta Mishra | TNN

New Delhi: Work on the new six-storey extension building at Tis Hazari court is nearing completion, according to PWD officials. The handover of the complex is likely to happen next week and the inauguration would take place in the presence of a high court justice, the officials said.

Overlooking the Metro line on the south side, the complex, which will house new courtrooms, is equipped with state-of-the-art facilities, security scanners, elevators, escalators, 150 CCTV cameras, water coolers, sprinklers and smoke alarms.

"It is a welcome move and much-needed infrastructure is being added to the court complex. We are waiting for the inauguration," Raj Gaurav, a practising advocate in Tis Hazari court, told **TOI**.

On Monday, finishing touches were being given to the building, which houses 54 court chambers, chambers for lawyers and office space for staff. It has five elevators — two for judges, two for court staff and the general public, and a service lift.

The building has three entry gates, of which one will be reserved for the judges. The new complex will give some respite to the old court building and create more space for judicial officers and lawyers.

According to PWD, defects rectification is underway and placing of furniture and linking of fibre cables between the old and new building is also in progress.

In December, the principal district and sessions judge of Tis Hazari court, along with officials of Public Works Department, had paid a visit and pointed out a few shortcomings, which are being rectified.

After observing that additional courtrooms would be required after recruitment of judicial officers to fill up the vacancies against the sanctioned strength, Delhi government had in 2019 commenced the project to construct new rooms at the court complexes of Tis Hazari, Saket and Karkardooma.

Initially, the plan was to make additional courtrooms on land allotted by Delhi Development Authority and Land Development Office, but as per PWD, sticking to the timeline set by Delhi high court was not possible. Therefore, it was decided to construct the rooms in the existing complexes only.

The construction work was supposed to be completed by March 2020 but was delayed by the pandemic. At an estimated cost of over Rs 178 crore, 46 courtrooms are being constructed in Saket, 44 in Karkardooma and 54 in Tis Hazari.

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2023

दो यमुना तट भी करेंगे जी 20 कार्यक्रमों की मेजबानी

डीडीए द्वारा तैयार असिता ईस्ट और बांसेरा तट पर होंगे कार्यक्रम, पहला चार व दूसरा 11 मार्च को किया जाएगा आयोजित

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना के दो प्रमुख तट भी जी-20 कार्यक्रमों की मेजबानी करेंगे। इनके चयन करीब फाइनल हो चुका है। असिता ईस्ट तट पर जहां एक बर्ड वाचिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, वहीं शहर के पहले बांस थीम पार्क 'बांसेरा' में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की तैयारी है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि संभावित रूप से चार और 11 मार्च को आयोजित होने वाले दो जी-20 आयोजनों के लिए तैयारी जोरों पर है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पहला कार्यक्रम असिता ईस्ट में और दूसरा 'बांसेरा' में आयोजित किया गया है। दोनों कार्यक्रम प्रकृति का प्रदर्शन करेंगे और स्थिरता के लोकाचार पर जोर देंगे। अधिकारियों ने कहा कि जी-20 प्रतिनिधि प्रवासी पक्षियों के बड़े झुंडों को आकर्षित करने वाले अपने प्राकृतिक आवरण के लिए प्रसिद्ध असिता ईस्ट तट का दौरा करेंगे और पक्षी देखने का आनंद लेंगे। मालूम हो कि यमुना नदी पर असिता ईस्ट परियोजना का उद्घाटन एलजी वीके सक्सेना ने गत सितंबर में किया था। इसका उद्देश्य नदी के डूब क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना और उसे हरित स्थान बनाना है। डीडीए के अनुसार, यह परियोजना 197 हेक्टेयर भूमि में फैली हुई है, जिसमें से 90 हेक्टेयर दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास है और शेष उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है। आधिकारियों ने कहा कि एलजी दोनों साइटों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं।

"दूसरा कार्यक्रम, 'बांसेरा' में आयोजित करने की योजना है, प्रतिनिधि प्रकृति की गोद में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे बांस से घिरे एक लान क्षेत्र में बैठेंगे। मनोरंजक और सांस्कृतिक स्थल के रूप में आकर्षक बनाने के उद्देश्य एलजी सक्सेना ने इस तट की आधारशिला पिछले अगस्त में 'बांसेरा' के रूप में रखी थी। अधिकारियों के मुताबिक यहां असम से लाए गए 25,000 से अधिक विशेष किस्म के पौधे लगाए गए हैं।

हिन्दुस्तान

महरौली में तोड़फोड़ पर रोक लगाने से इनकार

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। महरौली इलाके में तोड़फोड़ मामले को लेकर सोमवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने नई सीमांकन रिपोर्ट आने तक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। पीठ के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। बाद में पीठ ने याचिका को वापस मानते हुए खारिज कर दिया। इससे पहले, डीडीए के वकील ने पीठ को बताया कि इलाके का सीमांकन 2021 में पहले ही किया जा चुका है। महरौली अल्पसंख्यक निवासी और दुकान मालिक कल्याण संघ ने यह याचिका दाखिल की थी।

भाजपा को ज्ञापन सौंपे : तोड़फोड़ से प्रभावित नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा से प्रदेश कार्यालय में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में योगश्वर सिंह बिष्ट, ज्योति डंगवाल, मनीष पुरोहित समेत अन्य स्थानीय नागरिक शामिल रहे।

तीन इलाकों में कार्रवाई

नगर निगम की ओर से सोमवार को कालकाजी, कोटला मुबारकपुर और सीलमपुर इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। अवैध तरीके से रेहड़ी- पटरी लगाने वालों को हटाया गया। निगम ने करीब 40 से अधिक अतिक्रमण हटाए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWS नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 21 फरवरी 2023 ----DATED----

वक्फ की संपत्तियों पर नए सिरे से विवाद

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के केंद्र सरकार के प्रयासों के खिलाफ वक्फ बोर्ड ने एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने बताया कि हमने केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की उस दो सदस्यीय कमिटी के गठन को भी चुनौती दी हुई है, जिसकी सिफारिश पर यह कार्रवाई शुरू की गई है। हमसे कोर्ट से अनुरोध किया है कि जब तक यह मामला विचाराधीन है, तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। उन्होंने साफ कहा कि हम वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति पर अवैध कब्जा नहीं करने देंगे।

वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है

बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, 123 प्रॉपर्टीज को केंद्र अपने कब्जे में लेना चाहता है

खान का दावा है कि इसके बावजूद शहरी विकास मंत्रालय के लैंड एंड डिवेलपमेंट ऑफिस ने डीपीएस, मथुरा रोड के पीछे खसरा नंबर 484 में स्थित वक्फ बोर्ड की एक जमीन आईटीबीपी को दे दी है। जब हमने इस पर आपत्ति जताते हुए विभाग को बताया कि कमिटी के फैसले को हमने कोर्ट में चुनौती दे रखी है, तो विभाग का कहना था कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वक्फ बोर्ड ने इस बारे में हाई कोर्ट को सूचित किया, जिसके बाद कोर्ट ने एक फरवरी को नोटिस जारी करके शहरी विकास मंत्रालय, डीडीए और आईटीबीपी से जवाब मांगा है।

सोमवार को अमानतुल्लाह खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि शहरी विकास मंत्रालय की दो सदस्यीय समिति के फैसले को हमने जनवरी में ही हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। हमारा मकसद यही था की कमिटी की जितनी भी प्रोसिडिंग्स हैं, उन पर स्टे मिल जाए, ताकि मामला और ज्यादा पेचीदा ना बने। अब मामला अदालत में विचाराधीन है। मगर इसके बावजूद डिप्टी एल एंड डीओ के द्वारा 8 फरवरी को बोर्ड को एक चिट्ठी भेजकर कहा जाता है कि वक्फ की 123 संपत्तियों पर अब बोर्ड का कोई अधिकार नहीं रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने जमीन अलॉट करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जो सरासर गलत है।

अमानतुल्लाह ने दावा किया कि जिन 123 प्रॉपर्टीज को केंद्र सरकार अपने कब्जे में लेना चाहता है, उनमें से 90 प्रतिशत से ज्यादा पर कब्रिस्तान, मस्जिद और मजार बनी हुई हैं, जिनका रखरखाव वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मौलवियों और अन्य सहयोगी स्टाफ के द्वारा किया जाता है।

'हमें यह मिलीभगत का मामला लग रहा'

■ विस, नई दिल्ली : मुस्लिम स्कॉलर मौलाना कल्बे जवाद (लखनऊ) और एडवोकेट महमूद प्राचा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली वक्फ बोर्ड पर जानबूझकर वक्फ की संपत्तियों को केंद्र सरकार के हवाले करने की साजिश करने का आरोप लगाया। महमूद प्राचा ने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी मुस्लिम लोग अल्लाह के लिए दान करते हैं। ये सरकार की प्रॉपर्टी नहीं होती हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने केंद्र सरकार के लैंड एंड डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट के सामने अपना पक्ष नहीं रखा, जिससे आज बोर्ड की 123 प्रॉपर्टी छिनने की नौबत आ गई है। अमानतुल्लाह भले ही हाई कोर्ट जाने का हवाला दे रहे हों, लेकिन यह मिलीभगत का मामला लग रहा है।

दैनिक जागरण

नुकसान की भरपाई भ्रष्ट अफसरों से की जाए : सचदेवा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा ने पिछले दिनों महरौली में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए भ्रष्ट अधिकारियों व दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नागरिकों को हुए नुकसान की भरपाई भ्रष्ट अधिकारियों से करने की मांग की है। कहा कि भाजपा प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। दरअसल, प्रभावित लोगों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात कर ज्ञापन सौं थ और समस्याएं हल करने की मांग की थी। कार्रवाई रुकवाने के लिए उन्होंने भाजपा का आभार जताया।

वीरेंद्र सचदेवा ●

सचदेवा ने प्रतिनिधिमंडल से मिले ज्ञापन को उपराज्यपाल को प्रेषित कर उनसे लोगों की समस्याएं हल करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि

प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बोले-महरौली में तोड़फोड़ की कार्रवाई थी दुखद, ऐसी घटनाओं पर नहीं होनी चाहिए राजनीति

महरौली में तोड़फोड़ की कार्रवाई दुखद थी। इस तरह की घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा गलत सीमांकन करने से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। उपराज्यपाल को जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा का हमेशा से प्रयास रहा है कि किसी भी गरीब एवं वंचित का घर न उजड़े और साथ ही किसी दोषी को न छोड़ा जाए। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल में योगेश्वर सिंह बिष्ट, ज्योति डंगवाल, मनीष पुरोहित, अनुपम शर्मा, कुणाल, प्रीति, मिहिर शामिल रहे।

नई सीमांकन रिपोर्ट तैयार होने तक ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इन्कार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दक्षिण दिल्ली के महरौली पुरातत्व पार्क क्षेत्र में नए सिरे से सीमांकन रिपोर्ट तैयार होने तक दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा चलाए जा रहे ध्वस्तीकरण अभियान पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा यदि आप चाहते हैं, तो आप अपना दावा करते हुए एक दीवानी मुकदमा दायर करें। अदालत के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

डीडीए के अधिवक्ता ने इससे पहले अदालत को सूचित किया था कि क्षेत्र का सीमांकन वर्ष 2021 में पहले ही किया जा चुका है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इसके बाद ही शुरू हुई थी। अदालत महरौली अल्पसंख्यक निवासी और दुकान मालिक कल्याण की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में हस्तक्षेप किए बगैर एकल पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी कर मामले को मुख्य पीठ के समक्ष पेश करने को कहा था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ दैनिक जागरण नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2023 ---------DATED----------

दिल्ली सरकार के कारण जा रही वक्फ संपत्ति

शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने कहा, केंद्र की कमेटी के सामने नहीं की उचित पैरवी

- बोले- जान दे देंगे लेकिन संपति जाने नहीं देंगे, सड़कों पर उतरेंगे, पीएम से भी की जाएगी मुलाकात
- अमानतुल्लाह खान ने इस मामले को लेकर बोर्ड के सदस्यों को भी विश्वास में नहीं लिया: प्राचा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के कारण वक्फ की संपत्ति केंद्र के पास जा रही है। साजिशन दिल्ली वक्फ बोर्ड (डीडब्ल्यूबी) के अध्यक्ष ने यह गलत जानकारी सार्वजनिक की है कि इस मामले को लेकर गठित समिति में डीडब्ल्यूबी की ओर से कोई पेश नहीं हुआ है, जबकि वक्फ बोर्ड की एक सदस्य के साथ ही इन संपत्तियों की देखभाल करने वाले (मुतवल्ली) ने कमेटी के सामने वक्फ संपत्ति से संबंधित दस्तावेज पेश किए थे।

जोरबाग स्थित कर्बला के नजदीक सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कल्बे जव्वाद नकवी ने डीडब्ल्यूबी के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान को खयानतउल्लाह खान बताते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर वक्फ की संपत्तियों पर केंद्र का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलेंगे, क्योंकि वह सबका साथ, सबका विश्वास की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ की इन संपत्तियों को बचाने को लेकर अगर जरूरत पड़ी तो जान भी देंगे, सड़कों पर उतरकर आंदोलन चलाएंगे। साथ ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

प्रेसवार्ता में टू मैन कमेटी की फाइल दिखाते संयुक्त सचिव अंजुमन-ए-हैदरी सैयद बहादुर अब्बास नकवी, बीच में कल्बे जव्वाद नकवी व अधिवक्ता महमूद प्राचा ● जागरण

उनके साथ मौजूद अधिवक्ता महमूद प्राचा ने कहा कि अमानतुल्लाह खान ने इस मामले को लेकर बोर्ड के सदस्यों को भी विश्वास में नहीं लिया। उनसे केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति की बात छुपाई। साथ ही कोर्ट की सुनवाई में हिस्सा नहीं लिया। इस मामले से स्टे हट गया, तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की। यह पूरी साजिश का हिस्सा है। इसमें दिल्ली सरकार के साथ अमानतुल्लाह खान भी शामिल हैं। उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

वहीं, पूरे मामले से जुड़े एक अन्य अधिवक्ता सईद बहादुर अब्बास हैदरी ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटी के समक्ष नियमित तौर पर मुतवल्ली पेश हुए थे तथा संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज पेश किए थे, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) व भूमि एवं विकास विभाग (एलएनडीओ) के पास दस्तावेज नहीं थे।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का निर्णय किया है। इसके पहले वर्ष 2021 में सेवानृवित्त न्यायमूर्ति एसपी गर्ग की अध्यक्षता में दो सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, जिसे इन संपत्तियों से संबंधित दावे जांचने थे, लेकिन समिति का कहना है कि संबंधित संपत्तियों को लेकर उनके पास दिल्ली वक्फ बोर्ड का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा था। ये बहुमूल्य हजारों करोड़ रुपये की संपत्तियां उपराष्ट्रपति भवन परिसर सहित लुटियंस दिल्ली के विभिन्न मार्गों, कनाट प्लेस व पुरानी दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख स्थानों पर है। इनका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,360 एकड़ है, जिसका बाजार मूल्य 20 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक है।

संबंधित खबर >> जागरण सिटी

अमानतुल्लाह खान ने कांग्रेस पर फोड़ा ठीकरा

जासं, नई दिल्ली: केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिल्ली में मौजूद 123 वक्फ संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की तैयारी से बैकफुट पर आए दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने इसका ठीकरा केंद्र की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों के सिर फोड़ा है। साथ ही बताया कि केंद्र के इस निर्णय के खिलाफ वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसपर एक दो दिन में सुनवाई संभव है। दरियागंज स्थित बोर्ड कार्यालय में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि वर्ष 1984 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हमारी ही वक्फ संपत्तियों को हमें ही लीज पर देने का निर्णय किया। उसके बाद ही मामला विवादों में आ गया और इस मामले को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) कोर्ट में ले गई। उन्होंने चिंता जताते कहा कि अगर ये संपत्तियां केंद्र ने अपने हाथ में ले लिया, तो इनपर अवैध कब्जे के मामले बढ़ेंगे, क्योंकि इनपर स्थिति मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान को सरकार को खाली कराना आसान नहीं होगा। इसके साथ ही इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि इससे संबंधित मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहले से लंबित है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPE millenniumpost TUESDAY, 21 FEBRUARY, 2023 | NEW DELHI ED----------

HC REFUSES TO ENTERTAIN PLEA TO BAR DEMOLITION IN MEHRAULI

NEW DELHI: The Delhi High Court Monday refused to entertain a plea seeking a bar on demolition in the Mehrauli Archaeological Park area in south Delhi till a fresh demarcation report has been prepared. As a bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad said it was not going to interfere in the matter, the petitioner's counsel sought to withdraw the petition which the court allowed. The high court was informed by the counsel for the Delhi Development Authority (DDA) that demarcation of the area has already been done in 2021 and the demolition action had started only thereafter. The court, which was hearing a petition by Mehrauli Minorities Resident And Shop Owners Welfare, also questioned the petitioner about its locus standi.